

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय, महानदी भवन,

नवा रायपुर—अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.)

क्र. 5057 / एफ—२—१४३ / ३१ / एस—२ / २०२४,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक २४/१२/२०२४

मुख्य अभियंता,  
महानदी परियोजना,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- बलौदाबाजार—भाटापारा जिले के विकासखण्ड—तिल्दा के महानदी परियोजना अंतर्गत परसदा वितरक नहर के रिमाडलिंग एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य, जोता वितरक नहर की टेल माइनर को शेष मिट्टी एवं पक्के कार्य तथा सी.सी. लाईनिंग कार्य, भूमिया वितरक नहर में ०२ नग पुलिया निर्माण एवं बेमता माइनर का शेष मिट्टी, पक्के कार्य एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि ₹ 294.21 लाख (रुपए दो करोड़ चौरानबे लाख ईक्कीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.—३१३ / बो.प्र० / प्रशा.स्वी० / २०२३ / ७६६०, दिनांक ०५.०९.२०२४.

—००—

राज्य शासन एतद् द्वारा बलौदाबाजार—भाटापारा जिले के विकासखण्ड—तिल्दा के महानदी परियोजना अंतर्गत परसदा वितरक नहर के रिमाडलिंग एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य, जोता वितरक नहर की टेल माइनर को शेष मिट्टी एवं पक्के कार्य तथा सी.सी. लाईनिंग कार्य, भूमिया वितरक नहर में ०२ नग पुलिया निर्माण एवं बेमता माइनर का शेष मिट्टी, पक्के कार्य एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि ₹ 294.21 लाख (रुपए दो करोड़ चौरानबे लाख ईक्कीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई (668 हेक्टेयर) में 435 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष माँग संख्या ७५—जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, लेखा शीर्ष ४७००—वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [०२]—महानदी परियोजना समूह, [८००]—अन्य व्यय, ०३११—नाबार्ड पोषित योजनाएँ (सामान्य), (५५१६)—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड), #२६—वृहद निर्माण कार्य, ००५—बाँध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश २५/२०१२ अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक ११.१२.२०२४ में समिति की अनुशंसा एवं माननीय मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

( प्रेमसिंह घरेन्द्र )

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

पृष्ठ 5058 / एफ-2-143/31 / एस-2 / 2024,  
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 24/12/2024

- 1 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 4 सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला—रायपुर (छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4-22 नवा रायपुर—अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 13 अधीक्षण अभियंता, महानदी मण्डल, रायपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.)।
- 14 कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक-3, तिल्दा, जिला—रायपुर (छ.ग.)  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।

  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग